न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 258/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. किशनाराम पुत्र मंगलाराम (फौत) 1.1 जोगाराम पुत्र श्री किशनाराम 1.2 दिनेश पुत्र श्री किशनाराम 1.3 गुड्डी पुत्री श्री किशनाराम 1.4 मीमा पुत्री श्री किशनाराम 2. कोयली पत्नी श्री किशनाराम 3. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री चोखाराम 4. हडमानराम पुत्र स्व. श्री चोखाराम 5. सुखदेव पुत्र स्व. श्री चोखाराम हरलाल पुत्र स्व. श्री चोखाराम 6. घेवरराम पुत्र स्व. श्री चोखाराम 7. जुगताराम पुत्र स्व. श्री चोखाराम 8. मेकाराम पुत्र स्व. श्री चोखाराम 9. मोहनराम पुत्र स्व. श्री चोखाराम 10. परमेश्वरी पत्नी सुखदेव सभी जातियान बिश्नोई निवासी गण– बासनी निकुबा तहसील व जिला जोधपुर।		1 श्रीमति शान्ति पुत्री श्री भानूराम पत्नी श्री धनाराम 2 चिमनाराम पुत्र श्री सुखराम उर्फ सुखीया 3 घेवरराम पुत्र श्री सुखराम उर्फ सुखीया 4 बाबुराम पुत्र श्री सुखराम उर्फ सुखीया सभी जातियान मेघवाल निवासीगण– बासनी निकुबा तहसील व जिला जोधपुर हाल निवासी सांवलता खुर्द, तहसील रोहिट, जिला पाली। 5 ग्राम पंचायत फिटकासनी जरिये सरपंच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2015 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 11/2009 अनुवान श्रीमति शान्ति बनाम चिमनाराम में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री बी0आर0 विश्नोई,, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री स्वर्ण सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।

3– रेस्पो0 संख्या 5 बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 22 नवम्बर, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यार्थी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम बासनी निकुबा के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नम्बर 11 रकबा 41 बीघा भूमि आयी हुयी है जो अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की भूमि है। स्वर्गीय नथाराम उर्फ नथीया के तीन पुत्र भाणुराम, सुखाराम उर्फ सुखीया, लूणाराम उर्फ लुम्बिया थे। इन तीनो का देहान्त हो चुका है व भाणुराम का देहान्त नथाराम उर्फ नथीया के जीवित अवस्था में हो गया था। भाणुराम के अपीलांट एकमात्र पुत्री शान्ति बतौर वारिस व उत्तराधिकारी है। सुखाराम उर्फ सुखीया के पुत्र रेस्पो0 सं 1 से 3 है। लूणाराम उर्फ लुंबिया लाऔलाद फौत हो चुके है। इनके प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। इस तरह नथाराम उर्फ नथीया के अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1से 3 पौत्री व पुत्रगण है। आगे यह कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि नथाराम उर्फ नथीया के नाम दर्ज थी। उनके देहान्त के बाद फौतेदगी नामा0 सं0 01 सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दडा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण में नथाराम के जायन्दा पुत्र सुखीया व लुंबिया के नाम होना वाजिब है जबकि अपीलार्थीनी नथाराम उर्फ नथीया के देहान्त होने के बाद उक्त विवादित भूमि पर रेस्पो0 सं0 1 से 3 के पिता सुखराम उर्फ सुखीया व लूणाराम के साथ अपीलार्थी का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उक्त विवादित भूमि में अपीलांट का भी हक व हिस्सा बनता है। नामा0 स्वीकृत करते समय अप्रार्थीया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और ही स्व. नथाराम उर्फ नथीया की वारिसान की कोई जांच की गई। अतः अपीलाधीन नामा0 को निरस्त कर उक्त खसरान भूमि में अप्रार्थीया का नाम भी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को नोटिस जारी किये गये परन्तु सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आलौच्य आदेश दिंनाक 28.10.2015 के द्वारा नामा0 संख्या 01 को निरस्त करते हुए ख0सं0 11 के सम्बन्ध में स्व. नथाराम पुत्र लाला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत अपील पेश करने हेतु अनुमति दिये के क्रम में यह अंकित किया कि आलौच्य आदेश अपीलान्टस को बिना पक्षकार समायोजित किये व पीठ पीछे पारित करवाया गया जबकि अपीलार्थीगण विवादित खसरा भूमि के खातेदार व मौके पर काबिज काश्त है और प्रथम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलीय न्यायालय के समक्ष संस्थित पक्षकार ग्राम बासनी निकुंबा के निवासी नहीं है और न ही उनका भूमि से कोई सम्बन्ध है। उसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं होकर फर्जी तरीके से धोखाधडी की नियत से गलत तथ्य पेश कर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया। आलौच्य आदेश की जानकारी गांव में दिनांक 24.01.2017 को पटवारी हल्का व ग्राम सेवक के पास नाथिया के बात पूछताछ की गई तब नामा0 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई एवं आलौच्य आदेश की प्रति दिनांक 25.1.2017 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है जिस अपील को पेश करने की अनुमति प्रदान करावें साथ ही अपील पेश करने में हुए विलम्ब को सदभाविक विलम्ब मानते हुए अपील को अन्दर म्याद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2015 विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने से काबिले निरस्त है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन नामा0 सं0 1 जो लगभग 50 वर्ष से पूर्व में भरा गया था, को चुनौती दी जिसके बाबत विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया एवं न ही परिसीमा के बाबत कोई कथन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किये है जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जो प्रकरण परिसीमा से बाधित है उन मामलों में सर्वप्रथम निर्णय दिया जाना होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामा0 में हस्तक्षेप करने में भारी त्रुटी की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान के दर्ज खातेदारों को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया है। अपील प्रस्तुतीकरण के वक्त अपीलीय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि क्या वर्तमान के खातेदार पक्षकार बनाये गये है या नहीं तथा राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किया गया है या नहीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी व प्रत्यार्थीगण ने आलौच्य आदेश दुर्भीसन्धी/आपसी सांठ गांठ कर करके प्राप्त किया है क्योंकि प्रत्यार्थीगण के पिता सुखाराम उर्फ सुखीया ने वर्ष 1986 में सहायक जिलाधीश जोधपुर के न्यायालय में वाद सं0 173/1986 प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया। तत्पश्चात वर्ष 1992 में एक अन्य प्रकरण पेश किया वो भी खारिज हो गया। उसके बाद प्रत्यार्थी सं0 1 से 3 ने राजस्व वाद सं0 51/2007 दिनांक 07.12.2011 को निर्णित होकर वाद खारिज हो गया। न केवल इतना ही नहीं बल्कि अन्य वाद सं0 60/75 एवं वाद संख्या 30/75 भी इन्हीं लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं बेचाननामा जो इस भूमि के बाबत दिनांक 20.05.1958 को निष्पादित किये गये, को निरस्त कराने हेतू सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) जोधपुर के न्यायालय में वाद सं0 3/2011 प्रस्तुत हुआ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वो दिनांक 11.11.2013 को खारिज किया गया। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि के बाबत जो बेचाननामा निष्पादित किये गये, को सही माना गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीनी को भी बखूबी रही थी एवं अपीलार्थीनी ने अपना व प्रत्यार्थीगण का निवास स्थान बासनी निकुबा बताया जबकि उक्त दोनों पक्ष कभी भी इस पते पर नहीं रहे है। जो पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत किये थे उसमें अपना निवास स्थान सांवलता खुर्द, तहसील रोहिट जिला पाली बताया। रेस्पोडेन्टस ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रकरण की वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं की गयी एवं न ही हितबद्व व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अप्रार्थीया की अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली वह स्व. भाणुराम की पुत्री है। जबकि अपीलाधीन नामा0 संख्या 01 स्व0 नाथीया के देहान्त उपरानत पूर्ण जॉच के उपरान्त स्वीकृत किया गया है। अगर नाथीया के कोई तीसरा पक्ष वारिस बनकर आता है तो उसे अपने अधिकारों हेतु घोषणा करवानी पडेगी, नामा0 के जरिये उन्हें किसी प्रकार के हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस ने यह भी कथन किया था कि उनके पिता का उनके दादा के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया था तो नाथीया का देहान्त कब हुआ और भाणुराम का देहान्त कब हुआ और वो भाणुराम की पुत्री थी तो उसके अधिकार तत्समय पैदा हुआ या नहीं, यह सब विवादित तथ्य अधीनस्थ न्यायालय को गौर करने के उपरान्त ही आदेश पारित करना चाहिये था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को हस्तगत प्रकरण में लागू करने में त्रुटि की है क्योंकि अपीलाधीन नामा0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व स्वीकृत हो चुका था तो उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं था, इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस को अपील प्रस्तुतीकरण का भी कोई अधिकार नहीं था जिसका निस्तारण किये बगैर अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपील में अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बिना ही, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 01 को निरस्त करने का जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रथम अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम बासनी निकुबा के खसरा नम्बर 11 रकबा 41 बीघा भूमि आयी हुयी है जो अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की भूमि है। स्वर्गीय नथाराम उर्फ नथीया के तीन पुत्र भाणुराम,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सुखाराम उर्फ सुखीया, लूणाराम उर्फ लुम्बिया थे। इन तीनो का देहान्त हो चुका है व भाणुराम का देहान्त नथाराम उर्फ नथीया के जीवित अवस्था में हो गया था। भाणुराम के अपीलांट एकमात्र पुत्री शान्ति बतौर वारिस व उत्तराधिकारी है। सुखाराम उर्फ सुखीया के पुत्र रेस्पो0 सं 1 से 3 है। लूणाराम उर्फ लुंबिया लाऔलाद फौत हो चुके है। इनके प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं है। इस तरह नथाराम उर्फ नथीया के अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 से 3 पौत्री व पुत्रगण है।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्व पूर्वज नथाराम उर्फ नथीया के नाम दर्ज थी। उनके देहान्त के बाद फौतेदगी नामा0 सं0 01 सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दडा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण में नथाराम के जायन्दा पुत्र सुखीया व लुंबिया के नाम होना वाजिब है जबकि अपीलार्थीनी नथाराम उर्फ नथीया के देहान्त होने के बाद उक्त विवादित भूमि पर रेस्पो0 सं0 1 से 3 के पिता सुखराम उर्फ सुखीया व लूणाराम के साथ अपीलार्थी का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उक्त विवादित भूमि में अपीलांट का भी हक व हिस्सा बनता है। नामा0 स्वीकृत करते समय अप्रार्थीया को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और ही स्व. नथाराम उर्फ नथीया की वारिसान की कोई जांच की गई। उक्त भूमि में उनका भी 1/2 हिस्सा बराबर का हक बनता है। इस कारण से रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अतः अपीलाधीन नामा0 को निरस्त कर उक्त खसरान भूमि में अप्रार्थीया का नाम भी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर स्व. नथिया के वारिसान संस्थित पक्षकार यानि रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 को नोटिस जारी किये गये परन्तु वे सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आलौच्य आदेश दिंनाक 28.10.2015 के द्वारा रेस्पो0 की प्रथम को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 01 को निरस्त करते हुए ख0सं0 11 के सम्बन्ध में स्व. नथाराम पुत्र लाला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि खातेदार नथीया के वारिसानों को बिना नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश इब इन इश्यू वोईड व बिना क्षेत्राधिकार वाला आदेश है जो

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नथीया के सजरा खानदान के अनुसार नथीया के तीन पुत्र भानूराम, सुखाराम व लूणाराम होना, लूणाराम नाऔलाद फौत होना तथा भानूराम के फौत होने पर भानूराम के एकमात्र पुत्री रेस्पो0 संख्या एक शांती होना माना। अन्य वारिसान सुखाराम के तीन पुत्र चिमना, घेवर, बाबू जो रेस्पों0 संख्या 2,3,4 है। अपीलाधीन नामा0 दर्ज करते समय उसमें भाणूराम का नाम छोड देने तथा रेस्पो0 संख्या 1 नथिया की पौत्री होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी माना। जिसके आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान अनुसार खातेदार के देहान्त होने पर विरासत नामा0 में प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक मानते हुए, अपीलाधीन नामा0 को विधि विपरित मानते हुए निरस्त कर ख0सं0 11 के बाबत स्व0 नथिया पुत्र लाला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही के निर्देश पारित किये है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि उनको वर्तमान अपीलान्ट से कोई हक–हिस्सा प्राप्त नहीं करना था, बल्कि स्व. नथिया के वारिसान यानि उनके रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4 से उनके हक–हिस्से में दर्ज भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करना था, ऐसे में प्रथम अपील में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया और अधिनस्थ न्यायालय ने भी ऐसा कोई विवेचन अपने आदेश में नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया और इस आधार पर उनकी यह अपील भी अस्वीकार करने योग्य है। उक्त द्वितीय अपील विलम्ब से पेश की गई है जिसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया है। अतः अपीलान्ट अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने बाबत पेश अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या एक शान्ती की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 संख्या 1 जो कि लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत होना पाया जाता है, के विरूद्ध दिनांक 4.3.2009 को एक प्रथम अपील पेश की तथा उक्त भूमि खातेदार स्व. नथाराम उर्फ नथिया पुत्र लाल जी की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

होना तथा नथिया के तीन पुत्र भाणूराम, सुखाराम उर्फ सुखिया व लूणाराम उर्फ लूम्बिया थे। इन तीनों का देहान्त हो चुका है व भाणूराम का देहान्त नथाराम के जीवित रहते हो गया। भाणूराम के रेस्पोडेन्ट संख्या शान्ती एकमात्र पुत्री है व उत्तराधिकारी है जिनका नाम भी नामा0 में दर्ज होना चाहिये था क्योंकि नथिया की वह एवं अन्य रेस्पो0 पौत्री व पुत्रगण है। अतःनामा0 संख्या 01 को निरस्त किया जावे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 01 को निरस्त करते हुए नथाराम उर्फ नथिया पुत्र लाला के समस्त विधिक वारिसानों के नाम नियमानुसार नामा0 की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करने से पूर्व अपीलाधीन नामा0 संख्या 01 जो लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था, के विलम्ब अवधि को कन्डोन करने बाबत प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये था। ऐसा अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक शान्ती के द्वारा प्रथम अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उक्त कथन अपील प्रस्तुत करने की गई देरी को क्षमा किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार "Sufficient Cause" की श्रेणी में नहीं आते है क्योंकि 50 वर्ष की लम्बी अवधि में वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो जाना एवं भूमि का आगे बेचान किया जाना भी पत्रावली में उल्लेखित है। अपीलाधीन नामा0 की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिससे किसी काश्तकार को हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अपीलाधीन नामा0 की जानकारी को भली–भांति होना स्वतः प्रकट होता है क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक शान्ती के द्वारा अलग– अलग राजस्व न्यायालयों/ सिविल न्यायालयों के समक्ष भी अलग–अलग प्रकार से वादग्रस्त भूमि में अपना हक–अधिकार प्राप्त करने हेतु, भूमि के हुए बेचान को निरस्त कराने हेतु अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही भी निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 को उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने/ विश्लेषण के आधार पर बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर